न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 06/2024

प्रार्थी

सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री नेनाराम जाति माली निवासी पोसालिया तहसील शिवगंज जिला सिरोही हाल प्रो. आम्बेश्वर स्वीट (गलोबा वाले) पोसालिया, शिवगंज।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही।
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 17.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2024 को सुश्री अम्बिका राणावत, जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से आम्बेश्वर स्वीट (गलोबा वाले) पोसालिया, शिवगंज की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर तीन घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडे हुए पाए गए। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 19.11.2024 को उपस्थिति दी जाकर जबाव प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया, इसके पश्चात अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरोही की बहस सुनी गई एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 20.09.2024 को सुश्री अम्बिका राणावत, जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से आम्बेश्वर स्वीट (गलोबा वाले) पोसालिया, शिवगंज की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर तीन घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ पाए गए, जिनका उपयोग दुकान पर मिठाई बनाने (व्यावसायिक) का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:47:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उपरोक्त तीन घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाव में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन लिया हुआ है तथा खाली दो सिलेण्डर भरवाने के लिए उनके घर से लाकर दुकान में रखे थे, जिनका उपयोग किया जाना संभव ही नहीं है और जब्त दोनों सिलेण्डर खाली ही थे। यह कि अप्रार्थी के दोनों घरेलू सिलेण्डर खाली होने से उनके मित्र श्री खुशाल कुमार पुत्र श्री शिवलाल माली निवासी पोसालिया से इमरजेन्सी में घर से उपयोग के लिए उधार लेकर दुकान पर रखा था तथा उसे घर ले जाना था, परन्तु उसी समय सुबह निरीक्षण दल द्वारा नियम विरूद्ध मेरे तीनों सिलेण्डर जब्त कर लिए, जो गलत है, जबकि अप्रार्थी के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया गया तथा न ही जांच के वक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग हो रहा था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा जब्त किए गए सिलेण्डरों को पुनः दिलवाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा तीन 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की जांच करने पर तीन घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग प्रतिष्ठान पर मिष्ठान इत्यादि बनाने का कार्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रतिष्ठान पर मिष्ठान इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डरों के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग घरेलू प्रयोजनार्थ ही किया जाता है, परन्तु उक्त दिवस को उसका घर के सिलेण्डर खाली होने से उन्हें घर से दुकान पर लाकर रखा था तथा एक सिलेण्डर उसने श्री खुशाल कुमार पुत्र श्री शिवलाल से उधार लाकर दुकान पर रखा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उसे कब्जे सरकार ले लिया गया। इस सम्बन्ध में मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर जिस भट्टी से जुडा हुआ था, उस भट्टी पर बढी कढाई में मिष्ठान इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं अप्राथी द्वारा परिसर को मिष्ठान इत्यादि बनाने के [illegible] रहा था, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है, जिससे [illegible] होता है कि दुकान में रखी हुई सामग्री भी व्यावसायिक [illegible] यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी [illegible] गए गैस सिलेण्डरों की गैस डायरी भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह [illegible]बित हो कि उक्त घरेलू सिलेण्डर अप्रार्थी के स्वयं के थे। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर घरेलू उपयोग में लिए जाते है परन्तु आम्बेश्वर स्वीट (गलोबा वाले) पोसालिया, शिवगंज के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं उस पर वक्त निरीक्षण मिष्ठान बनाने का कार्य किए जाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:47:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये तीन घरेलू गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये तीनों गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए तीनों गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:47:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner